भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1439

उत्तर देने की तारीख : 13.02.2025

एसएसएमई का बंद होना

1439. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार अपनी नीतियों, जिनके कारण पिछले दशक के दौरान कथित रूप से हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बंद हो गए हैं और रिपोर्टों में उपेक्षा, विमुद्रीकरण, जीएसटी मुद्दों और चीन से होने वाले आयातों में वृद्धि से छोटे व्यवसायों के असंगत रूप से प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, को किस प्रकार न्यायोचित ठहराती हैं; और

(ख) सरकार द्वार उचित प्रतिनिधित्व और ऐसी नीतियों, जिनके माध्यम से कर के बोझ और विलंब से भुगतान जैसे मुद्दों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का वास्तव में समाधान हो, का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए वर्ष 2020 में निवेश और टर्नओवर के दोहरे मानदंड पर आधारित एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया और पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। उद्यम पंजीकरण स्वैच्छिक है और यह स्व-घोषणा पर आधारित है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, पोर्टल पर उद्यमों का पंजीकरण कई कारणों से रद्द कर दिया जाता है, जैसे कि कंपनी के मालिक में परिवर्तन, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होना, दोहरा पंजीकरण, उद्यम का बंद होना और कई ऐसे अन्य कारण हैं। परिभाषा में संशोधन के बाद पंजीकृत एमएसएमई में से बंद हुए एमएसएमई की संख्या 0.12% है।

एमएसएमई क्षेत्र को सहायता करने के लिए, कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी देकर गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर एससी/एसटी एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण, खरीद और विपणन सहायता योजना और एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इनमें से कई योजनाओं के अंतर्गत समावेशिता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान है।

एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 31.03.2023 तक चालू थी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर भारतीय स्टेट बैंक की 23.01.2023 की शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से लगभग 98.3% खाते एमएसई श्रेणी के थे, को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के वर्गीकरण में जाने से बचाया गया है।

जैसा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है, कि सरकार ने देश में एमएसएमई की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न पहल/नीतिगत उपाय किए हैं। 40 लाख रुपए तक की वस्तुओं की आपूर्ति और 20 लाख रुपए तक की सेवाओं की आपूर्ति आदि के लिए किसी जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तु और सेवा के क्रेताओं से एमएसई की बकाया राशि की निगरानी के लिए 30.10.2017 को समाधान पोर्टल को लॉन्च किया था। इसके अलावा, एमएसई के विलंबित भुगतान के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। अब तक, 159 एमएसईएफसी स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी स्थापित की गई हैं।

*****